

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

प्रत्रांक:- प्र01/बादाम कोल ब्लॉक-03/2015
सेवा में,

पटना, दिनांक-

विषय:- महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।
बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान के विस्तार परियोजना (2X250MW) में कोयला आपूर्ति हेतु बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को आवंटित बादम कोल ब्लॉक, हजारीबाग के विकास हेतु 305.75 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 60.00 करोड़ (साठ करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।
कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के आवंटन आदेश सं 103/20/2015/NA दिनांक 31.08.2015 द्वारा हजारीबाग, झारखण्ड में अवस्थित बादम कोल ब्लॉक बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि० को इसके बरौनी स्थित 2x250MW विस्तारित वाष्प शक्ति इकाईयों में कोयले की आपूर्ति हेतु आवंटित किया गया है एवं तदनुसार बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना द्वारा एकरारनामा किया गया है, इस आवंटित कोल ब्लॉक से कुल कोयले का उत्पादन 3 MTPA संभावित है जो उत्पादन इकाईयों हेतु 33 वर्षों तक कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ज्ञात हो कि बादम कोल ब्लॉक से आपूरित कोयले की दर बाजार दर से कम होगी जिसके फलाफल में प्रति यूनिट बिजली उत्पादन का दर 1.00 रुपये प्रति यूनिट कम होना संभावित है।

2. 2x250MW वाष्प शक्ति इकाईयों के निर्माण हेतु स्वीकृत परियोजना लागत 5308.07 करोड़ रुपये में कोल ब्लॉक को विकसित करने हेतु 100 करोड़ रुपये की राशि प्रावधानित की गई थी जबकि कोल ब्लॉक के विकास हेतु कम्पनी के स्तर से विभिन्न मदों में अनुमानित 305.75 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में यह भी उल्लिखित करना समीचीन होगा कि विभिन्न कारणों से उत्पादन इकाईयों के निर्माण में विलम्ब हो रहा है एवं वर्तमान में वाणिज्यिक उत्पादन जून, 2017 से संभावित है। वाणिज्यिक उत्पादन में विलम्ब के कारण परियोजना निर्माण अवधि में ऋण पर ब्याज की राशि में वृद्धि हो रही है। अतः कम्पनी स्तर से यह निर्णय लिया गया है कि बादम कोल ब्लॉक जो एक अलग योजना है का कार्यान्वयन पृथक कोष से किया जाय एवं निर्माणाधीन विस्तार परियोजना के स्वीकृत परियोजना लागत में कोल ब्लॉक के कार्यान्वयन हेतु प्रावधानित राशि 100.00 करोड़ रुपये का उपयोग विस्तार परियोजना अवधि में परियोजना के कार्यान्वयन हेतु बाजार से प्राप्त ऋण पर ब्याज भुगतान हेतु किया जाय।

3. आवंटित कोल ब्लॉक के विकास हेतु विभिन्न मदों में मुख्य रूप से राशि इसके निमित्त चयनित होने वाले खादान विकासकर्ता-सह-संचालक (MDO-Mine Developer-cum-Operator) द्वारा व्यय की जायेगी फिर भी कम्पनी स्तर से निम्न मदों में राशि का व्यय होना संभावित है :-

क्र०सं०	विवरण	राशि (रु० करोड़ में)
1	भूमि अधिग्रहण की राशि	150.00
2	विस्थापन एवं पुनर्स्थापन की राशि (R&R)	100.00
3	MoC को Upfront / fixed amount के मद की राशि	45.00
4	Compensatory Afforestation की राशि	1.25
5	MoC को समर्पित बैंक गारंटी (70.74 करोड़ रुपये) हेतु पाँच वर्षों का बैंक कमीशन की राशि	2.00
6	कोल ब्लॉक क्षेत्र में कार्यालय निर्माण की राशि	0.50
7	प्रशासनिक व्यय की राशि	2.00
8	विभिन्न प्रकार के वैधानिक शुल्क	5.00
	कुल	305.75

4. उक्त आलोक में बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान के विस्तार परियोजना (2X250MW) में कोयला आपूर्ति हेतु बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को आवंटित बादम कोल ब्लॉक, हजारीबाग के विकास हेतु 305.75 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 60.00 करोड़ (साठ करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
5. बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-02 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, मांग सं०-10, उपशीर्ष-0102 बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड की परियोजना, विपत्र कोड- P4801021900102, विषय शीर्ष-5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
6. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल०खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120- अन्य निधियाँ, उपशीर्ष- 0045-बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड व्यय शीर्ष एल० 8448001200045 एवं प्राप्तियाँ-के०- 8448001200045 में जमा की जायेगी।
7. बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल०खाता संख्या- PLA273 से की जाएगी।
8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र०1/बादाम कोल ब्लॉक-03/2015 के पृष्ठ संख्या 24/टि० पर दिनांक 15.03.2017 को प्राप्त है।
10. राज्यादेश पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- प्र०1/बादाम कोल ब्लॉक-03/2015 के पृष्ठ संख्या- 26/टि० पर दिनांक-17.03.2017. को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत),

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- प्र०1/बादाम कोल ब्लॉक-03/2015

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- प्र०1/बादाम कोल ब्लॉक-03/2015

पटना, दिनांक- 17/03/2017

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव, ऊर्जा विभाग/लेखा शाखा विभाग (तीन प्रतियों में) पटना/अडि०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्टिडिंग) कम्पनी लिमिटेड/ प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।